

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 21/10/2022

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-


क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	16/2016	डॉ रजनी वर्मा, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सरना जूंगर, जयपुर	31.01.2027	II/54, गांधीनगर
2.	23/2016	डॉ सीमा जायसवाल, प्रिंसीपल सीएमओ, कार्यालय संयुक्त निदेशक एंड सीएमएचओ प्रथम, जयपुर	31.08.2030	एन-29, गांधीनगर
3.	60/2016	श्रीमती सीमा कुमार,आर.ए. एस. संयुक्त शासन सचिव गृह (आपदा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.1.2037	II/14, गांधीनगर
4.	65/2016	श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत विशेषाधिकारी (तकनीकी) खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2029	II/15, गांधीनगर
5.	66/2016	डॉ० सत्येन्द्र सिंह चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2039	II/38, गांधीनगर
6.	67/2016	श्री बीरबल सिंह अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर	30.11.2030	II/19, गांधीनगर
7.	74/2016	श्री एल.एल.पहाडिया, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	30.06.2027	II/24, गांधीनगर
8.	76/2016	श्री बलबीर सिंह वित्तीय सलाहकार कृषि विपणन विभाग, जयपुर	31.10.2045	II/12, गांधीनगर (403 मॉडल टाउन के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत )
9.	77/2016	श्री कालीचरण उपनिदेशक (सा.) शिक्षा विभाग, जयपुर	31.1.2039	II/32, गांधीनगर
10.	79/2016	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा अधीक्षण अभियन्ता भू-जल विभाग, जयपुर	30.6.2029	II/42, गांधीनगर
11.	84/2016	श्रीमती वन्दना यादव सहायक आचार्य पैथोलॉजी सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2046	II/67, गांधीनगर
12.	3/2017	श्री कमल वाणिज्यिक कर अधिकारी माईनर टैक्स वाणिज्यिक	31.12.2028	II/48 गांधीनगर

		कर विभाग जयपुर		
13.	4/2017	डॉ० गीतिका सोबती, सहायक आचार्य, ओरल मेडिकल रेडियोलोजी राजकीय दंत चिकित्सालय जयपुर	31.12.2028	II/50, गांधीनगर
14.	5/2017	श्री जितेन्द्र प्रसाद संयुक्त पजीयक सहकारिता विभाग, जयपुर	31.07.2029	II/65, गांधीनगर
15.	6/2017	डा० सुशीला यादव, पीटीआई फिजीकल विभाग, सवाई मानसिंह महाविद्यालय, जयपुर	31.12.2026	II/68, गांधीनगर
16.	8/2017	श्री सुरेश कुमार नवल उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर	30.06.2034	एन-24, गांधीनगर
17.	12/2017	डॉ० वीरेन्द्र सिंह, आरएएस रीजनल परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर	31.08.2030	एम-5, गांधीनगर
18.	14/2017	श्री नरेन्द्र कुमार आर्य उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर	30.06.2028	एम-6, गांधीनगर
19.	16/2017	श्री कैलाश सिंह जाट, सहायक आचार्य सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.05.2041	1/5 हीराबाग
20.	20/2017	डॉ० मुकेश जैन रेजीडेण्ट डॉक्टर गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	30.6.2035	I/6 हीराबाग
21.	22/2017	डॉ० जगदीश प्रसाद कनिष्ठ सर्जन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2042	3/3 हीराबाग
22.	27/2017	डॉ० पंकज कुमार पौरवाल सहायक आचार्य सर्जरी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.04.2046	5/6 हीराबाग
23.	15/2021	डॉ० मुकेश सौकरिया सहायक आचार्य, रेडियोथेरेपी विभाग सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.09.2046	202, मॉडल टाउन
24.	16/2021	श्री अशोक कुमार बुतोलिया अति० पुलिस अधीक्षक, सीआईडी.सीबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	31.10.2028	204, मॉडल टाउन
25.	18/2021	श्रीमती सरिता सेनी संयुक्त निदेशक आर.जी.एच. एस वित्त भवन, जयपुर	30.11.2044	303, मॉडल टाउन

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
7. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
8. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
11. क्रम संख्या 1,11,14,15, एवं 23-25 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(शैली किशानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग/खान विभाग/वित्त (राजस्व) विभाग/विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
3. अति० मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग/जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर/आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर/ आयुक्त, नगर निगम/कृषि विपणन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
5. अधीक्षक/प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) केन्द्रीय राज्य बीमा औषधालय सरना डूंगरी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
7. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
8. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
9. निदेशक, आर.जी.एच.एस, वित्त भवन/निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
14. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।

17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गौधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आवेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा कराये साथ ही आवंटी को द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र को पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

  
विशिष्ट शासन सचिव